न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

43/2025

श्री लालाराम परिहार (भूतपूर्व सैनिक) निवासी 89 ए रेलवे सोसायटी बजरंग नगर नयापुरा कोटा राज0

---अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 08.07.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.03.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोंक के डीडीओ कोड।

2 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टोक द्वारा माह मार्च 2023 में दिनांक 01.3.2023 से 31.3.2023 तक आहरित FVC बिलों का विवरण जिसमें बिल न./ दिनांक, शुद्ध राशी व बिलों के ट्रेजरी वाऊचर संख्या तथा दिनांक सहित सम्पूर्ण विवरण, विस्तृत शीर्ष (बजट लेखा शीर्ष) सहित।

3 FVC बिलों में केवल वाहन टेक्सी किराया बिलों की सूचना ही अपेक्षित है जो चाहे किसी भी बजट हेड से आहरित की गई हो।

4 जिला सैनिक कार्यालय टोंक द्वारा जारी पत्रांक 426 दिनांक 20.03.2023 की प्रति मय प्राप्ति क्रमांक सहित व उक्त पत्र के क्रम में आप द्वारा जारी अनुमति पत्र के क्रमांक व दिनांक सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 834 दिनांक 15.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 505 दिनांक 20.05.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां कोषाधिकारी, टोंक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, टोंक से संबंधित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत कोषाधिकारी, टोंक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, टोंक को कार्यालय के पत्र कमांक आर.टी.आई/2025/384-85 दिनांक 04.04.2025 द्वारा अन्तरित कर दिया गया है एवं प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4 की सूचना प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा से संबंधित होने के कारण प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा द्वारा उनके पत्र क्रमांक 2412 दिनांक 30.04.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु संख्या 2 व 3 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक को पत्र

जिला कलेक्टर
टोंक

क्रमांक 919 दिनांक 28.05.2025 व 1073 दिनांक 13.06.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक से संबंधित सूचना के प्रथम अपीलेट अधिकारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता नही है। अपीलान्ट लोक सूचना अधिकारी एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी टोंक द्वारा सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

फलतः अपील अपीलान्ट बिन्दू संख्या 2 व 3 की हद तक आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक व लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक